following important projects are under implementation in Paradip Port;

(i) Construction of a Multi-purpose Cargo Berth at an estimated cost of Rs. 26.36 crores sanctioned by the Government on 13.8.1992.

(ii) Creation of mechanised coal handling facility at an estimated cost of Rs. 587.41 crores sanctioned by the Government on 23.4.1993.

हिन्दी समिति का प्रतिवेदन

1542. **श्री दिग्विजय सिंह:**
श्री अनन्तराम जायसवाल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जुलाई, 1995 के हिन्दी दैनिक "हिन्दुस्तान" में "हिन्दी समिति 20 साल बाद भी अंतिम रिपोर्ट नहीं दे पाई" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार हिन्दी समिति का प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास करेगी यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार को कब तक समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद): (क) जी, हां।

(ख) समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार पूर्णत: तथ्यों पर आधारित नहीं है। वास्तविकता यह है कि राजभाषा नीति के विभिन्न पहलुओं की व्यापकता को देखते हुए तथा व्यवहारिकताओं को ध्यान में रखते हुए समिति ने जून, 1985 और सितम्बर, 1986 में हुई अपनी बैठकों में यह निर्णय लिया था कि राष्ट्रपति जी को प्रतिवेदन एक साथ प्रस्तुत करने के बजाए उसे विभिन्न खंडों में प्रस्तुत किया जाए और इसके प्रत्येक खंड का संबंध राजभाषा नीति व उसके कार्यान्वयन के पहलू विशेष से हो। तदनुसार समिति अब तक अपने प्रतिवेदन के पांच खंड राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर चुकी है। प्रतिवेदन के प्रथम चार खंडों में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेश भी जारी हो चुके हैं। इन सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों को समय-समय पर आदेश/निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इस समय समिति के प्रतिवेदन के छठे और अंतिम खंड की तैयारी का कार्य चल रहा है जिसे मार्च, 1996 तक राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। छठे खंड में समिति द्वारा विदेशों में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा के संबंध में भी एक अध्याय लिखा जाना प्रस्तावित है। इसलिए समिति ने हाल ही में कुछ देशों में भारतीय राजदूतावासों/मिशनों व भारत सरकार के अन्य कार्यालयों का निरीक्षण किया है।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई.सी.सी.आर.) द्वारा विदेशों में खोले गए सांस्कृतिक केन्द्र

1543. **श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन देशों में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा सांस्कृतिक केन्द्र खोले गए हैं और आगामी दो वर्षों में किन-किन देशों में ऐसे केन्द्र खोले जाने का विचार है; और

(ख) वे कौन-कौन से देश या राजदूतावास हैं जिन्होंने अपने यहां सांस्कृतिक केन्द्र खोलने हेतु भारत सरकार से निवेदन किया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा खोले गए सांस्कृतिक केन्द्र इस समय मिस्र (काहिरा), जर्मनी (बर्लिन), गयाना (जार्जटाउन), इंडोनेशिया (जकार्ता), कजाकस्तान (अल्माती), मारीशस (पोर्ट लुई), रूस (मास्को), दक्षिण अफ्रीका (जोहन्सबर्ग और डरबन), उजबेकिस्तान (ताशकन्द), यू.के. (लन्दन) में कार्य कर रहे हैं।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के शासी-निकाय ने त्रिनिडाड और टोबेगो में एक सांस्कृतिक केन्द्र खोलने का अनुमोदन कर दिया है।

(ख) सांस्कृतिक केन्द्र खोलने के संबंध में प्रस्ताव अमरीका तथा श्रीलंका में स्थित भारतीय मिशनों से प्राप्त हुए हैं।

सीमा विवाद के संबंध में भारत-बांग्लादेश वार्ता

1544. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:**
श्री दिग्विजय सिंह:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर बांग्लादेश राइफल्स और सीमा सुरक्षा बल के बीच जून के अंतिम सप्ताह में भीषण फायरिंग हुई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे तथा क्या भारत ने इस संबंध में बांग्लादेश सरकार से कोई बातचीत